C- 807/2018

26.09.2019 परिवादी की हाजिरी है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पत्र, परिवादी का शपथ पर दिया गया बयान एवं जांच के क्रम में परिवादी की ओर से प्रस्तुत किए गए तीन साक्षियों के साक्ष्य का परीक्षण किया, परीक्षण से स्पष्ट होता है कि परिवाद पत्र में वर्णित सभी अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 323/34, 506/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध बनता प्रतीत होता है।

अतः परिवाद पत्र में वर्णित नामित सभी 03 अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में सम्मन करने का आदेश दिया जाता है। परिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह पन्द्रह दिनों के अन्दर अपेक्षित दाखिल करें। तत्पश्चात् कार्यालय अभियुक्तों के विरूद्ध सम्मन निर्गत करें।

वाद दिनांक 18.11.2019 वास्ते अपेक्षित दाखिला।

(सतीश चन्द्र)
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
तृतीय मुजफ्फरपुर, पश्चिमी